प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक-33 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 21-28 अगस्त 2017 मूल्य पांच रूपए

वीरभद्र की धमकी के बाद सरकार और संगठन का टकराव पहुंचा अन्तिम मोड पर

शिमला/शैल। कांग्रेस में चल रहा सरकार और संगठन का टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां किसी एक का नुकसान होना तय है। वीरभद्र सिंह ने चुनावों

से पूर्व संगठन पर पूर्ण कब्जे के लिये अपना आखिरी दाव चल दिया है। वीरभद्र ने हाईकमान को स्पष्ट संकेत दे दिये हैं कि जिस ढंग से संगठन चल रहा है उसमें वह चुनावों में पार्टी का नेतृत्व नही कर सकते। संगठन और सरकार का यह टकराव तो वीरभद्र सिंह के शपथ लेने के साथ ही शुरू हो गया था। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि नेता के चुनाव के समय विधायक दल आधा-आधा बंट गया था। इसी कारण से विभिन्न निगमों/बोर्डो में हुई ताजपोशीयों को लेकर चला यह टकराव आज इस मुकाम पर पहुंच गया। इस दौरान विद्या स्टोक्स, कौल सिंह ठाकुर और जीएस बाली जैसे मन्त्रीयों ने कई बार अपने-अपने तरीके से वीरभद्र को चुनौती देने के प्रयास किये। लेकिन कोई भी सफल नही हो सका। आनन्द शर्मा और आशा कुमारी भी इस खेल के परदे के पीछे के खिलाड़ी रहे हैं। राजेश धर्माणी और राकेश कालिया तो अपने पदों से त्यागपत्र देने तक पहुंच गये थे। लेकिन यह सब लोग मिलकर भी हाईकमान को आश्वस्त नही करवा पाये कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की आश्यकता है। न ही यह लोग अपने स्टैण्ड को अन्तिम परिणाम तक ले जा पाये। बल्कि सबकी यही छवि बनती चली गयी कि इनकी नाराजगियां केवल अपने-अपने काम निकलावने के लिये थी।

दूसरी ओर सुक्खु ने भी संगठन में अपनी ईच्छा से पदाधिकारियों की नियुक्तियां करनी शुरू कर दी। वीरभद्र ने भी इन नियुक्तियों के विरोध में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहां तक की वीरभद्र के समर्थकों ने उनके नाम से एक बिग्रेड़ खड़ा कर दिया। यह बिग्रेड़ एक प्रकार से समानान्तर संगठन बन गया। जब इसका संज्ञान लेकर कुछ शीर्ष लोगों के खिलाफ अनुशासन की कारवाई शुरू हुई तो इसे भंग करके इसे एक एनजीओ के रूप में पंजीकृत करवा दिया गया। यही नही इसके प्रमुख ने सुक्खु के खिलाफ मानहानि का मामला तक दायर कर दिया जो अब तक चल रहा है। संयोगवश इस बिग्रेड से बने एनजीओ और विभिन्न निगमो/बोर्डो में ताजपोशीयां पाने वाले अधिकांश लोगों की वफादारीयां और वीरभद्र के बेटे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य समय-समय पर आने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट दिये जाने के मानदण्डों को लेकर ब्यान देते आये हैं। लेकिन जब सरकार और संगठन में यह सब चल रहा था तब उस समय की प्रभारी चुपचाप आंख बन्द करके तमाशा देखती रहीं। शायद उन्होने हाईकमान को इस सबके बारे में कभी कोई जानकारी दी ही नही है। बल्कि इसी दौरान कांग्रेस के कुछ मन्त्रीयों सहित कई नेताओं के नाम इस चर्चा में आ गये कि यह लोग कभी भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भाजपा भी यह खुला दावा करती रही कि कांग्रेस के कई लोग उसके संपर्क में चल रहे हैं। वीरभद्र के परिवहन मन्त्री जीएस बाली के प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ बहुत निकट के संबंध हैं और इन्ही संबन्धों ने इन अटकलों को और हवा दी कि भाजपा का दावा सच हो सकता है। इसी पृष्ठभूमि में जब पिछले दिनों शिंदे की मौजूदगी बाली के कांगड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ तो उसमें जिस तर्ज में बाली और अन्य नेताओं ने मंच से जो खुला प्रहार वीरभद्र के खिलाफ किया उससे यह और भी पुख्ता हो गया कि कुछ लोग भाजपा का दामन थामने की तैयारी में है। इस सम्मेलन के बाद हुए विधानसभा के आखिरी सत्र में भाजपा के हमले का जबाव देने के लिये कौल सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के अतिरिक्त कोई आगे नही आया। अब इस परिदृश्य में वीरभद्र ऐसी टीम का चुनावों में नेतृत्व करने का जोखिम क्यों और कैसे उठायें यह सवाल आज प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सबके लिये गंभीर मुद्दा बन गया है।

लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सच यह है कि वीरभद्र और सुक्खु

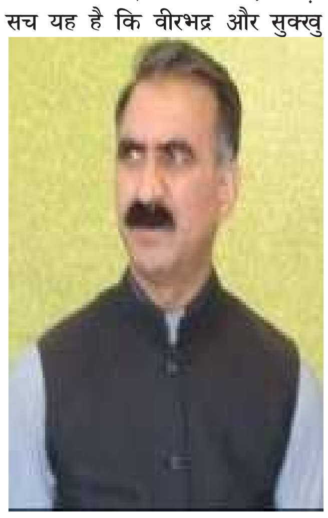

दोनों ही पक्ष बराबर के कमजोर भी

शेष पृष्ठ 8 पर...............

डिक्री और ओटीएस के बावजूद सीपीएस मनसाराम से नहीं हुई वसूली

शिमला/शैल। प्रदेश वित्त ने पिछले काफी समय से नये कर्ज देने बन्द कर रखे हैं क्योंकि इसकी अपनी

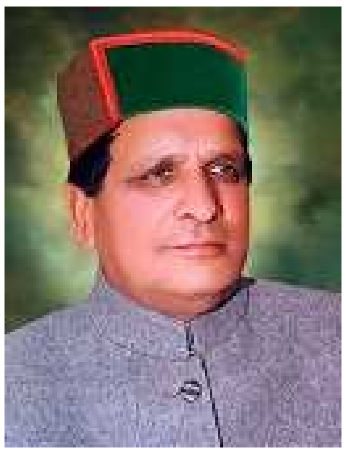

माली हालत बहुत बिगड चुकी है। निगम का इस समय कर्जदारों के पास 72 करोड़ का ऐसा मूल धन उगाही के लिये फंसा है जिसमें निगम के पास सिक्योरिटी ही केवल 25 करोड़ की है। जिसका अर्थ है कि आज कर्ज के लिये धरोहर रखी संपत्ति को निगम जब्त भी कर ले तो केवल 25 करोड़ ही वसूल हो पायेंगे और 47 करोड़ तो डूबे ही हुए हैं लेकिन इस स्थिति के बाद भी प्रभावशाली कर्जदारों के मामले में तो सरकार नही चाहती कि उनसे वसूली की जाये। पूर्व मन्त्री मुख्य संसदीय सचिव मनसाराम के केस में कुछ ऐसा ही चल रहा है। इसमें मनसा राम के खिलाफ डिक्री होने के बाद निलामी की नौबत आयी तो राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन को लेकर वीरभद्र सिंह के दरवार में पहुंच गये। निलामी रोकने के लिये सरकार को एमडी तक को बदलना पड़ गया। क्योंकि मनसाराम ने ओटीएस को भी ऑनर नही किया था और ऐसे में राहत के सारे रास्ते बन्द हो चुके थे। निगम में दर्जनो मामले तो ऐसे हैं जहां दिये गये कर्ज के बदले में धरोहर रखी गयी संपत्ति को राजस्व के रिकार्ड पर लाया ही नही गया है। पालमपुर के सिलवर ओक का ऐसा ही मामला है। बल्कि इस मामले में तो निगम के वकील एक ऐसे व्यक्ति रहे है जो बाद में उच्च न्यायालय के जज तक रहे हैं लेकिन निगम प्रशासन से लेकर सरकार तक ने निगम की स्थिति को गंभीरता से लिया ही नही। निगम का एसडीएम पद संभाल चुके अधिकारी बाद में मुख्य सविच तक रहे हैं और बतौर मुख्य सचिव निगम के बीडीओ के अध्यक्ष रहे हैं।

वित्त निगम की स्थापना अप्रैल 1967 में हुई थी। इसके एक्ट की धाराओं 29,30,31,32 और 32 जी के तहत रिकवरी की पूरी प्रक्रिया और प्रावधान स्थापित है। बल्कि वित्त निगम अधिनियम के उद्देश्यों की घोषणा में ही इसका उल्लेख है। एक्ट की धारा 29 और 31 के तहत वित्त निगम को वैधानिक तौर पर डिक्री होल्डर का दर्जा हासिल है। इस स्थायी स्थिति के बाद निगम को एक्ट की धारा 32(8) और 32(8ए) के तहत जिला जज से केवल डिक्री की तामील का आदेश ही हासिल करना होता है। इसके लिये केवल सवा रूपये की कोर्ट फीस लगाकर तामील के आग्रह का आवेदन किया जा सकता है। लेकिन निगम प्रशासन ने एक्ट के तहत दिये इस अधिकार और प्रावधान का इस्तेमाल न करके विभिन्न अदालतों में रिकवरी की याचिकाएं डालने में

शेष पृष्ठ 8 पर...............

शैल समाचार के नियमित पाठक बनने हेतू विज्ञापन देने के लिये इन नम्बरों पर संपर्क करें

कार्यालय दूरभाष – 0177 – 2805015, मो. 8988587014, मो. 9418069978, मो. 9418020312
ई मेल – shailsamachar@gmail.com, वेबसाईट – www.shailsamachar.co.in

पाठकों की प्रतिक्रियाओं को भी विशेष स्थान दिया जायेगा
– संपादक

पुलिस, गृह रक्षा तथा अग्निशमन विभागों के 67 कर्मी अलंकृत

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में हि.प्र. पुलिस, गृह रक्षा तथा अग्निशमन विभागों के 67 कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिये

मैडल तथा चार जीवनरक्षा पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रत्येक नागरिक में कर्तव्य की भावना से ही बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दिया जा सकता है। स्वार्थ से ऊपर उठकर तथा उच्च विचारों की सोच समाज में जानी चाहिए तभी देश व प्रदेश का कल्याण संभव है।

उन्होंने हाल ही के दिनों में नशे के कारण प्रदेश में घटित कुछ वारदातों का जिक्र करते हुए कहा कि हर अपराध की जड़ नशा है जिससे हमें भावी पीढ़ी को सचेत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के तौर पर उन्होंने नशामुक्त प्रदेश का अभियान छेड़ा है, क्योंकि इस बुराई के चलते प्रदेश कभी भी विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति नशामुक्त प्रदेश के इस अभियान को आगे बढ़ाए।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है जिसे हासिल करने में हमारे पुर्वजों के महान आदर्श व सिद्धांत रहे होंगे। देवभूमि की सार्थकता को बनाए रखने के लिये हमें अच्छे समाज का आदर्श प्रस्तुत करना होगा। हमें अनुशासित प्रांत की छवि को आगे बढ़ाना है जिसके लिये केवल सरकार पर निर्भर न रहकर प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए।

राज्यपाल ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि देशवासियों को इनकी बहादुरी पर गर्व है तथा इनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों से अन्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बहादुर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कारण ही हम समाज की हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। उन्होंने विभाग से इस तरह के कार्यक्रम को प्रतिवर्ष आयोजित करने को कहा।

जीवनरक्षा पुरस्कार से सम्मानित कुमारी शिल्पा शर्मा की बहादुरी की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अपने जीवन की परवाह किए बिना कुमारी शिल्पा ने तेंदुए के मूंह से अपने भाई की जान बचाकर जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, वह दूसरों के लिये उदाहरण है। ऐसी मिसालें ही समाज को प्रेरणा देती हैं।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक के 6 तथा गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 2 पदक प्रदान किए। सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक के लिए 27 विजेताओं को सम्मानित किया गया। सराहनीय कार्य के लिये अग्निशमन सेवा व गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा पदक के 26 कर्मियों को अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, जीवन रक्षा के लिये सुशील कुमार, फैयाज अहमद, शिल्पा शर्मा तथा दिनेश कुमार को भी पदक प्रदान किए गए।

प्रधान सचिव गृह प्रबोध सक्सेना ने कार्यवाही का संचालन किया।

मुख्य संसदीय सचिव नंद लाल, मुख्य सचिव वी.सी. फारका, मुख्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र चौहान, पुलिस महानिदेशक सोमेश गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण श्रीधर तथा हि.प्र. पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्राकृतिक कृषि बेहतर विकल्प:राज्यपाल

शिमला/शैल। शिमला जिला के बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र मशोबरा में किसानों तथा बागवानों से संवाद करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से उनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मण्डियों में बेहतर दाम प्राप्त करने के लिए 'शून्य लागत प्राकृतिक कृषि' अपनाने का आग्रह किया।

राज्यपाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पाद न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी हैं, बल्कि पर्यावरण मित्र भी हैं।

राज्य के किसानों तथा बागवानों के साथ इस संवाद सत्र का आयोजन बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र मशोबरा द्वारा किया गया। राज्यपाल ने कीटनाशकों तथा रासायनिक खादों के बढ़ते प्रयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इनसे फसलों में स्वास्थ्य के लिए हानिकार अव्यव घुल जाते हैं और साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी प्रभावित होती है। उन्होंने वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे कृषक समुदाय को पारम्परिक एवं प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करें तथा राज्य में मौजूदा कृषि के तरीकों में सुधार के लिए शून्य बजट खेती अपनाने के लिए विशेष जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिकों से गहन अनुसंधान करने तथा नई तकनीकें विकसित करने के अलावा विशेषकर प्राकृतिक कृषि में मौजूदा तकनीकों में सुधार करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं में किया गया अनुसंधान किसानों तथा खेतों तक पहुंचना चाहिए और इसका प्रसार स्थानीय बोलियों में भी किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि पदमश्री डा. सुभाष पालेकर ने देश के किसानों को शून्य लागत प्राकृतिक खेती की अवधारणा देकर उनके लिये प्रेरणा बने और देश के 40 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कृषि तकनीक से आम लोगों को लाभ मिलेगा और साथ ही उन लोगों को भी, जिन्होंने पहले ही तकनीक को अपनाया है और अपने उत्पादों के बेहतर दाम प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सिक्किम देश का जैविक राज्य बन गया है और यह हैरानी की बात है कि लगभग 60 प्रतिशत वैज्ञानिकों ने हिमाचल के बागवानी तथा कृषि विश्वविद्यालयों से अध्ययन किया है।

आचार्य देवव्रत ने किसानों को उनके खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए शून्य लागत प्राकृतिक खेती तथा देशी नस्ल की गायों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता और प्राकृतिक कृषि अपनाने के पीछे हमारे समक्ष अनेक विशेष कारण हैं। उन्होंने कहा कि खेती में रासायनिक खादों के कारण गत दशकों के दौरान बीमारियां बढ़ी हैं और रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में बदलाव के लिए यह उपयुक्त समय है।

उन्होंने कहा कि एक गाय 30 एकड़ भूमि में खेती के लिए सहायक हो सकती है और इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में सुधार होगा, कम से कम पानी का प्रयोग कर अधिक उपज प्राप्त होगी तथा उत्पादों के उपयुक्त दाम भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि देसी गाय हर प्रकार से लाभकारी है और पारम्परिक कृषि की मदद से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। उन्होंने आशा जाहिर की कि विशेषकर युवा तथा अग्रणी किसानों के साथ संवाद प्रतिभागियों में नई सोच का संचार करेगा और उनके जीवन में आशातीत बदलाव आएगा।

डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के कुलपति डा. एच.सी. शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा विश्वविद्यालय की गतिविधियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने पहले ही प्राकृतिक खेती की अवधारणा को लागू किया है। उन्होंने उच्च घनत्व पौधरोपण तथा कृषि विविधिकरण अपनाने पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण के आनंदपुर में रखी 40 करोड़ के 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में तारादेवी के समीप आनन्दपुर में 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की आधारशिला रखने के उपरान्त कहा कि एक्सीलेंस केन्द्र बेरोजगारों के लिए वरदान साबित होगा और उन्हें औद्योगिक घरानों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि जाने-माने औद्योगिक घराने उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण में सहायता करेंगे और इसके उपरान्त प्रशिक्षित युवाओं को इन्ही इकाईयों में रोजगार प्रदान किया जाएगा।

'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित 640 करोड़ रुपये की एक महत्वकांक्षी परियोजना के अन्तर्गत खोला जाएगा। निगम ने अगले पांच वर्षों के दौरान राज्य के 65000 युवाओं को "लैगशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा रोजगार समर्थन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के 15 से 45 आयु वर्ग के प्रत्येक युवा को सशक्त बनाना तथा कौशल उन्नयन कर आजीवन रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि हिमाचल प्रदेश तथा भारत वर्ष की आर्थिक उन्नति में योगदान के लिए राज्य में उत्पादक कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समानता के अवसर प्रदान करने के उपायों के अंतर्गत जाति, आर्थिक स्थिति तथा लिंग को ध्यान में रखते हुए विशेष आरक्षण अवसर प्रदान किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य इस अनूठी पहल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में समुदाय का समग्र विकास सुनिश्चित बनाना है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र कम अवधि के पाठयक्रमों को लागू कर पॉलीटेक्निक कालेज के विद्यार्थियों की मदद करेगा तथा उनका कौशल बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि 'मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास में देश का आदर्श बने'।

इसके उपरान्त, ग्राम पंचायत कोट के कोट में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट में विज्ञान तथा वाणिज्य की कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत कोट में माडक देवी मन्दिर के लिए 25 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ जलापूर्ति योजना तथा 38 लाख रुपये की डोगरपुल-भाड-धनवाल-डोची उठाऊ जलापूर्ति योजना का भी लोकार्पण किया।

वीरभद्र सिंह ने निगम के अन्तर्गत जुब्बड़हटी में खण्ड स्तरीय संसाधन केन्द्र की स्थापना करने की भी घोषणा की। उन्होंने माता तारादेवी मन्दिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया तथा कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मन्दिर में पूजा-अर्चना व प्रार्थना की।

राज्यपाल ने किया 68वें वन महोत्सव का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला के चक्र के समीप सन्दल में वन विभाग तथा राज्य रेडक्रॉस समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 68वें वन महोत्सव का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने लेडी राज्यपाल दर्शना देवी के साथ देवदार के पौधां का रोपण किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टूटू, डीएवी स्कूल तथा बीएसएन स्कूल के विद्यार्थियों ने पौधरोपण अभियान में शामिल होकर 500 से अधिाक पौधों का रोपण किया।

राज्यपाल ने प्रदेश में हरित आवरण में तेजी से हो रही वृद्धि पर सन्तोष व्यक्त किया और कहा कि और क्षेत्र को हरित आवरण के अन्तर्गत लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अभियान से जहां पौधरोपण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा, वहीं पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोगों को प्ररित किया जा सकेगा। उन्होंने इस तरह के अभियानों में स्कूली बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित बनाने पर बल दिया ताकि वे अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व के बारे में जान सके। जिला शिमला सेवा भारती के सदस्य ने भी पौधरोपण अभियान में भाग लिया। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य रेडक्रॉस के सचिव पी.एस. राणा व अन्यों ने भी इस अवसर पर देवदार के पौधे लगाए।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया अमृत फार्मेसी का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के साथ अमृत के अन्तर्गत सस्ती दवाईयों की दुकान का

आईजीएमसी परिसर में लोकार्पण किया। इससे प्रदेश के रोगियों को 70 से 90 प्रतिशत उपदान दरों पर दवाईयां उपलब्ध होंगी, जिससे ऐसे रोगियों को भारी राहत मिलेगी, जो कैंसर, हृदय रोग व अन्य बीमारियों के उपचार के लिए मंहगी दवाईयां खरीदने में असमर्थ हैं।

इससे रोगियों को एक ही छत्त के नीचे सभी दवाईयां खरीदने की सुविधा उपलब्ध होगी और उन्हें अन्य दुकानों पर दवाईयां खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

इन्होंने आईजीएमसी परिसर में सुपरस्पेस्लिटी खण्ड की आधारशिला रखी, जिसका चम्याणा में निर्माण किया जाएगा। यह आईजीएमसी का दूसरा परिसर होगा, जिसे 20 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा 80:20 के अन्तर्गत निर्मित किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत भारी खर्चे का वहन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने आईजीएमसी में टर्शरी देखभाल कैंसर केन्द्र की भी आधारशिला रखी, जिससे कैंसर पीड़ितों को वर्तमान केन्द्र से विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो अब टर्शरी कैंसर देखभाल केन्द्र के नाम से जाना जाएगा और जो 'टर्शरी कैंसर देखभाल केन्द्र सुदृढ़ीकरण योजना' के अन्तर्गत कार्य करेगा। आईजीएमसी के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 5000 नए कैंसर मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत आईजीएमसी में पंजीकृत होते हैं। लगभग 100 रोगियों की प्रतिदिन रेडियो थैरेपी होती है। इसके अतिरिक्त, 50 रोगी प्रतिदिन कीमोथैरेपी लेते हैं।

रीयल एस्टेट एक्ट के तहत प्रमोटरों का पंजीकरण अनिवार्य

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उन गिने-चुने कुछ राज्यों की पंक्ति में शामिल हो गया है, जहां एस्टेट एजेंट व प्रमोटरों के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पंजीकरण के लिए वैब-पोर्टल www.hprera.in का शुभारम्भ किया।

इस वैब-पोर्टल से प्रमोटरों तथा खरीददारों को निरन्तर, पारदर्शी तथा बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

मंत्रिमण्डल ने 5 अगस्त, 2017 की बैठक में हि.प्र. रीयल एस्टेट (विनियम तथा विकासअधिनियम) -2017 को स्वीकृति प्रदान की है। यह वैब-पोर्टल कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का वहन न करने वाले निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि हि.प्र. शहरी एवं नगर नियोजन विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि सभी प्रमोटर विभाग के निदेशालय में अपना पंजीकरण करवाऐं। निदेशक शहरी एवं नगर नियोजन को रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) के लिए प्राधिकृत अधिकारी नामित किया गया है। सभी प्रमोटरों को आरईआरए के साथ 30 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाना होगा तथा आम जन को सलाह दी जाती है कि आरईआरए के साथ पंजीकरण न करवाने वाले भवन निर्माताओं एवं डवल्परों से किसी तरह का प्लाट या अर्पाटमेंट न खरीदें।

मंत्री ने कहा कि आरईआरए का उद्देश्य रीयल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य करना है। इसके अतिरिक्त, यदि निर्माता अधिनियम के अन्तर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करते, तो उस स्थिति में उन्हें आवंटियों को अधिनियम के तहत मुआवजा देना होगा।

रीयल एस्टेट विनियम तथा विकास अधिनियम -2016 के तहत प्राधिकरण के साथ रीयल स्टेट परियोजना का पंजीकरण करवाए बिना कोई भी प्रमोटर लोगों को प्लॉट, अपार्टमैंट बुक या बेच नहीं सकता। अधिनियम के तहत अपीलों को सुनने के लिए रीयल एस्टेट अपीलिय ट्रिब्यूनल को स्थापित करने का प्रावधान भी है।

हिमाचल में हो रहा है तीव्र औद्योगिक विकास: वीरभद्र सिंह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक समारोह में उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित की गई वैबसाईट www.emerginghimachal.hp.gov.in का लोकार्पण किया। उन्होंने पीएचडी चौम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 'राईजिंग हिमाचल प्रदेश: ए माऊंटेन ऑपर्चुनिटीज' को भी जारी किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं तथा राज्य में निवेश के लिए बड़ी संख्या में उद्यमियों को आकर्षित करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कलस्टर आधारित दृष्टिकोण अपना रही है और फार्मा, फूड प्रोसेसिंग तथा गत्ते की पेटियों सहित पांच औद्योगिक समूहों की स्थापना की जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए प्रक्रियाओं तथा मापदण्डों के सरलीकरण के अलावा उनके लिए अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने उद्योग क्षेत्र से अपील की कि औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के

अलावा उन्हें ऊर्जा, पर्यटन बागवानी, सूचना तथा बायो-टैक्नॉलाजी में भी निवेश के लिए आगे आना चाहिए, जहां निवेश की आपार संभावनाएं हैं। उन्होंने वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर उद्योगपतियों को अपने उत्पादों में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने पर बल दिया।

विकासात्मक मानकों का उल्लेख करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज राज्य में प्रति व्यक्ति आय 1,47,277 रुपये तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 93,293 रुपये है। इसी प्रकार राज्य ने 82.80 प्रतिशत साक्षारता दर को हासिल किया है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। पीएचडी चौम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोपाल जीवाराजका ने राज्य सरकार से पर्यटन परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी तथा पैकेज जैसी गुणात्मक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में और कदम उठाने का आग्रह किया।

विजन-2020 पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक विस्तार तथा व्यापार पर बल देना होगा।

शोघी में जल्द शुरु होगा 30 बिस्तरों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी में 1.89 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवन का शुभारम्भ किया तथा शोघी में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 बिस्तरों की सुविधा होगी और इसका निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी में एक अतिरिक्त खण्ड का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने शोघी स्कूल में संगीत अध्यापक का पद भरने और वाद्य-यंत्र उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ है। सड़कों के निर्माण की बात हो, स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थानों को खोलना, पेयजल व सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की बात हो, प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र विकास सुनिश्चित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की 39 पंचायतों को पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए एक महत्वकांक्षी जलापूर्ति योजना का हाल ही में लोकार्पण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए सुन्नी तथा 16 मील में डिग्री कालेज खोलने के अलावा बड़ी संख्या में उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं खोली गई है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान तथा अनेक अन्य संस्थान भी खोले गए हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में तीन आईटीआई खोली गई हैं।

वीरभद्र सिंह ने सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए शोघी स्कूल के विद्यार्थियों को 10 हजार रुपये देने की घोषणा भी की।

प्रदेश में 9 नई औद्योगिक इकाईयां स्वीकृत

शिमला/शैल। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण (एसएलएसडब्ल्यूसी एवं एमए) की आयोजित बैठक में 9 नए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें एशियन कंकरीट एण्ड सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड, ईस्टमैन ऑटो एण्ड

पावर लिमिटेड तथा सम्पूर्ण लेयर फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, 13 इकाईयों के विस्तार की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में 526.32 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे लगभग 1963 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। वीरभद्र सिंह ने सुनियोजित ढंग से कार्य करने वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक समस्याओं के समाधान का पता लगाने में सहायक सिद्ध होगी।

बैठक में कुल 22 प्रस्तावों तथा 9 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें 457.69 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है तथा 881 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, 13 इकाईयों को विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 239.58 करोड़ रुपये का निवेश तथा लगभग 1082 लोगों के लिए रोजगार की संभावना शामिल है। स्वीकृति प्राप्त करने वाली मुख्य इकाईयों में कैडिला हैल्थ केयर लिमिटेड बद्दी, सिपला लिमिटेड मालपुर, आरसीआई इंण्डस्ट्रीज एण्ड टैक्नोलॉजीज, स्पैनज हैल्थ केयर माजरा, पिडिलाईट इण्डस्ट्रीज, स्टील यूनिटस, लिवगार्ड बैटरीज प्राईवेट लिमिटेड इत्यादि शामिल हैं।

रामशहर को मिला तहसील का दर्जा

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिला सोलन की उप-तहसील रामशहर को तहसील का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है। उन्होंने बताया कि यह फैसला रामशहर व नजदीक के सम्बद्ध लोगों को बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण, प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाने व असुविधा का निवारण करने के दृष्टिगत लिया गया है।

उन्होंने कहा कि तहसील के अन्तर्गत जयनगर, लोहारघाट, कोहू, सौर, भियूंखरी, डोली, धरमाणा, बेहड़ी, रामशहर, मटूली, बायला, चमदार, दिग्गल, मनलोग कलां, उखु, नंड तथा लुनस सहित 17 पटवार वृत होंगे।

वन की अग्नि चन्दन की लकड़ी को भी जला देती है अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते है। ....चाणक्य

सम्पादकीय

फिर हारा राजधर्म

हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा राम रहीम के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत ने एक बलात्कार के मामले में दोषी करार देकर 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बाबा के खिलाफ अदालत का फैसला 25 तारीख को आयेगा इसकी जानकारी सबको थी। मीडिया में भी इस आश्य के समाचार प्रमुखता से आ रहे थे। बाबा के फैसले के समाचार को प्रमुखता इसलिये दी जा रही थी क्योंकि बाबा ने पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा को खुलकर समर्थन दिया था। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद खट्टर का पूरा मन्त्रिमण्डल बाबा से आर्शीवाद लेने गया था। अभी पिछले दिनो खट्टर के मन्त्री राम विलास शर्मा बाबा को भारी भरकम भेंट देकर आये थे और मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता दी थी। हिमाचल से भी भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता पूर्व मन्त्री नाहन के विधायक डा. राजीव बिन्दल भी बाबा के आश्रम आर्शीवाद लेने पहुचे हुए थे। यही नही सांसद अनुराग ठाकुर भी बाबा से आर्शीवाद पाने वालों में प्रमुख है। सांसद साक्षी महराज ने तो यह फैसला आने के बाद खुले रूप से न कवेल बाबा का समर्थन ही किया है बल्कि अदालत के फैसले की भी यह कहकर निन्दा की कि अदालत को करोड़ो लोगों की आस्था का सम्मान करना चाहिये था। बाबा की भाजपा में इसी राजनीतिक सांख के कारण हरियाणा की खट्टर सरकार ने उनके समर्थको को लाखों की संख्या में पंचकूला में इक्कठा होने दिया और परिणामस्वरूप फैसले के बाद भड़की हिंसा से निपटने में असफल रही। भाजपा की हरियाणा सरकार की इस असफलता पर पंजाब – हरियाणा उच्च न्यायालय ने जिस तरह से सरकार की निन्दा की है वह अपने में सबकुछ ब्यान कर देती है।

इस परिदृश्य में जो कुछ घटा है जान-माल की जो हानि हुई है उसे रोका जा सकता था यदि सरकार चाहती तो। यह अदालत से लेकर आम आदमी तक को पूरी तहर साफ हो चुका है। इसमें सरकार अपना राजधर्म निभाने में पूरी तरह असफल रही है। इसमें पूरी वस्तुस्थिति का आंकलन करन में सरकार और उसका तन्त्र असफल रहा है, या इसमें नीयतन राजनीतिक ईच्छा शक्ति का अभाव रहा है। इसका खुलासा उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद हो जायेगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद जो प्रश्न उभरते हैं वह बहुत गंभीर और संवदेनशील है। इसी प्रकरण पर पहला सवाल तो यही उठता है कि ऐसे अपराध का फैसला आने में पन्द्रह वर्ष का समय क्यों लग गया? अब यह सामने आ चुका है कि इस मामले को दबा दिये जाने के लिये राजनेताओं से लेकर अधिकारियों तक के दबाव आये हैं। फिर जिस पत्रकार ने इस डेरे की गतिविधियों को लेकर पहली बार खबर छापी थी और उसकी हत्या करवा दी गयी थी। इस हत्या के मामले में आजतक कोई पुख्ता कारवाई का सामने न आना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। क्या इस हत्या के गुनाहगारों को लेकर तन्त्र अब कोई परिणाम दे पायेगा अभी देखना बाकी है।

डेरा सच्चा सौदा का यह आश्रम करीब 68 वर्षो से चला आ रहा है। 100 एकड़ में फैले इस आश्रम की संपति हजारों करोड़ की कही जाती है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैण्ड से लेकर आस्ट्रेलिया और यूएई तक इसके आश्रम व अनुयायी है। देश-विदेश में इसके पांच करोड़ अनुयायी कहे जाते हैं, और अकेले हरियाणा में ही 25 लाख माने जाते है। संभवत: इतनी बड़ी संख्या में अनुयायीयों का होना और ऊपर से अपार धन का होना ही राजनेताओं के लिये आकर्षण का केन्द्र बन जाता है। स्वभाविक है कि जिस एक व्यक्ति के पास इतने बडे अनुयायीयों की फौज होगी जो उसके एक फरमान पर लोकतन्त्र के नाम पर किसी एक राजनीतिक दल और नेता को समर्थन देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठा देने में सहायक बनेगें बाद में उसके आगे नतमस्तक ही रहेंगें यही कारण है कि आज हमारे राजनेता बाबा के इस पक्ष पर मौन साधे हुए है। यहां यह स्वभाविक सवाल उठता है कि एक बाबा के पास इतनी अपार संपत्ति और इतने अनुयायी एक दिन में तो इक्कठे नही हो जाते है। यह सब होने में समय लगता है। आज डेरा सच्चा सौदा के आश्रम के निर्माण को लेकर जो खुलासे सामने आ रहे है उस पर सवाल उठता है कि जब यह सब हो रहा था तब हमारा प्रशासनिक तन्त्र क्या कर रहा था? देश की सारी गुप्तचर ऐजैन्सीयां क्या कर रही थी? क्योंकि आज जो कुछ गुरमीत राम रहीम को लेकर सामने आया है, वैसा ही सबकुछ बापू आशा राम, रामपाल और कई अन्यों के मामलों में सामने आ चुका है। ऐसे सभी लोगों को राजनेताओं और प्रशासन का सहयोग हासिल रहता है और सभी की आपराधिक गतिविधियां सामने आती है। आज जितने बाबे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं सभी पर यौन शोषण के आरोप रहे हैं। इस तरह के बाबाओं की संस्कृति फैलती जा रही है और यह राजतन्त्र के सहयोग के बिना संभव नही है और यह देश के लिये खतरे का एक नया क्षेत्र खुलने जा रहा है। आस्था के इस दुरूपयोग का अन्तिम परिणाम अपराध के रूप में सामने आना रहा है इसलिये क्या यह नही होना चाहिये कि जब इस तरह का कुछ सामने आये तो उसे समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं को भी उस अपराध में बराबर का जिम्मेदार बनाया जाये।

जैव विविधता के संरक्षण में वरदान सिद्ध होगी यू.एन.परियोजना

हिमाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के मूल उद्देश्य से कार्यान्वित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परियोजना को लागू करने में यह प्रदेश एक अग्रणी राज्य के तौर पर उभरा है। वैश्विक पर्यावरण पोषित यह परियोजना उपलब्धता व लाभ सांझा करने की अवधारणा के आधार पर हितधारकों का संस्थागत, व्यक्तिगत एवं सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है।

देशभर के दस राज्यों में चलाई जा रही इस परियोजना को लागू करने में हिमाचल प्रदेश ने पहल की है तथा इसके तहत् विभिन्न लाभार्थी समुदायों में जागरूकता लाने और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न ग्राम पंचायतों में जैव विविधता संरक्षण के प्रति विशेषकर राज्य के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में लगभग 366 जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया है। प्रथम चरण में चम्बा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति जैसे जैव विविधता वाले समृद्ध जिलों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण शिविरों एवं जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से हितधारकों की क्षमता बढ़ौतरी की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है ताकि इस अभियान को निचले स्तर तक ले जाया जा सके। अभी तक पंचायत स्तर पर आयोजित 150 जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें स्कूली बच्चों को भी जैव विविधता के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत ऐसी गतिविधियों पर लगभग 2.32 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम-2002 के प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण)की अध्यक्षता में राज्य जैव विविधता बोर्ड का भी गठन किया है। इस अधिनियम में राज्य में जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों का सतत् प्रयोग, जैविक संसाधन, ज्ञान तथा इससे जुड़े मामलों के प्रयोग से मिलने वाले फायदों को सही एवं समान ढंग से बांटने के लिए प्रावधान किया गया है।

जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न भागों में उपलब्ध जैव विविधता के खजाने का अभिलेखीकरण किया जा रहा है, जो कि एक बड़ी पहल है। जैव विविधता रजिस्टर तैयार करके जैव-सम्बन्धी पारम्परिक ज्ञान सहित सम्बन्धित क्षेत्रों में उपलब्ध जैविक विविधता के लिखित प्रमाण तैयार किए जा रहे हैं तथा प्रदेश में अभी तक इस प्रकार के कम से कम 6 'लोक जैव विविधता रजिस्टर्स' तैयार किए गए है जबकि 117 अन्य रजिस्टरों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में प्रदेश के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों सहित प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों का भी सहयोग लिया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने समृद्ध जैव विविधता से नवाजा है तथा वर्तमान में प्रदेश की वनस्पति धरोहर में लगभग 180 वनस्पति परिवार हैं, जिनमें 1038 प्रजाति समूह और लगभग 3400 प्रजातियां शामिल हैं। प्रदेश में पाए जाने वाली कई वनस्पति प्रजातियां दुर्लभ किस्म की हैं जिससे राज्य की वनस्पति की महत्ता और भी अधिक हो जाती है। वर्तमान में उद्योगों द्वारा उत्पादों में प्राकृतिक सामग्री व कई औषधीय पौधों के रस के बढ़ते उपयोग के कारण यहां पाए जाने वाले औषधीय पौधों से जुड़े सदियों पुराने पारम्परिक मूल्यों में भारी बढ़ौतरी हुई है।

गत दशक के दौरान प्रदेश में विभिन्न उद्योगों का ध्यान जैव संसाधन आधारित उद्योगों को स्थापित करने की ओर गया है। प्रदेश में पौधों, जीव-जन्तुओं तथा सूक्ष्म जीवों की जैव विविधता की समृद्धता के कारण ऐसे उद्योगों में निवेश की सम्भावना बढ़ जाती है। हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में स्थित हिमाचल में पाए जाने वाले विभिन्न दुर्लभ पौधों को दवा उद्योग में प्रयोग करने की अपार सम्भावनाएं हैं।

प्रदेश में विद्यमान जैविक संसाधन

उद्योगों के निवेश के लिए इस राज्य को एक आदर्श स्थान बनाते हैं। वैसे भी उद्योगों के लिए यहां पर्याप्त भूमि के साथ किफायती बिजली की आपूर्ति भी उपलब्ध है। नदियों व बर्फ पिघलने की क्रिया से भरपूर प्राकृतिक संसाधनों से प्रदेश में पानी की पर्याप्त उपलब्धता है।

यद्यपि प्रदेश में पाए जाने वाले लगभग 60 औषधीय पौधे विलुप्त होने की कगार पर हैं तथापि हितधारकों की सक्रिय सहभागिता तथा जैव विविधता बोर्ड द्वारा आरम्भ किए गए सघन प्रयासों से ऐसे दुर्लभ पौधों तथा इनकी प्रजातियों को बचाने में सहायता मिलेगी और यह परियोजना वास्तव में प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में एक वरदान सिद्ध होगी।

स्वतंत्रता के 70 वर्ष

सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका

आजादी के समय 1947 में, भारत में महज 29 करोड़ रूपये के निवेश के साथ केवल पांच केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इसके अलावा, ब्रिटिश हुक्मरानों को सेवाएं प्रदान करने के लिए संभवत: भारत के पास रेलवे और विस्तृत डाक एवं तार विभाग का काफी हद तक पर्याप्त नेटवर्क था, जो पूरे देश को कवर करता था। आज भारत के पास लगभग 12 लाख करोड़ रूपये के निवेश के साथ 320 सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम हैं। लगभग 165 सीपीएसई ने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और 78 सीपीएसई को 29,000 करोड़ रूपये की शुद्ध हानि हुई है। राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या शायद इससे दो गुना अधिक है। राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या और उनके निवेश के बारे में आंकड़े अधूरे हैं। लेकिन ऐसे संकेत हैं कि 4-5 लाख करोड़ रूपये के निवेश के साथ कम से कम 1000 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इनके अलावा, विशेषकर रेलवे, राज्य सड़क निगम, डाक आदि के रूप में केन्द्रीय और राज्य निकाय हैं। इनमें निवेश कई लाख करोड़ रूपयों में है।

इसलिए यह स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने तैयार की। बेशक, बदलते वक्त के साथ इसकी भूमिका में बदलाव आ रहा है। शुरूआत में इसकी भूमिका मूल्य स्थिरीकरण लाने और सामाजिक आर्थिक विकास के अलावा औद्योगिक आधार और बुनियादी ढांचा तैयार करना थी। वे सही मायनों में विकास का इंजन थे। पीएसई ने में आजादी के आरंभिक वर्षो के दौरान अधिक कामगारों वाली की तकनीके अपनाकर रोजगार के अवसरों के सृजन, बीमार कपड़ा इकाइयों के राष्ट्रीयकरण और प्रमुख इकाइयों के आस-पास अनुषंगी या सहयोगी उद्योग लगाने में व्यापक योगदान दिया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ ही, इनकी भूमिका में बदलाव आ गया और यह वैश्विक सहित प्रतिस्पर्धी बन गये। इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण और बेहतर दक्षता के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में कटौती हुई। उदाहरण के तौर पर, सेल, जिसने अतीत में 10 मिलियन टन से भी कम इस्पात का उत्पादन करने के लिए 2 लाख से ज्यादा कामगारों को नियुक्त किया था, उसमें अब 80,000 कामगार हैं और पहले से कहीं ज्यादा उत्पादन करते हैं। लेकिन आज भी उसमें कामगारों की संख्या ज्यादा है। टाटा स्टील में प्रति टन इस्पात उत्पादन के लिए जितने कामगार हैं, इसमें उससे सात गुना ज्यादा कामगार हैं। यही बात कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अब तक अकुशल रहने के प्रमुख कारणों में से एक है। भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी कुछ अन्य कंपनियां भी हैं, जिनका 1950 में राष्ट्रीयकरण के बाद से अपने क्षेत्र में एकाधिकार कायम है। 1990 के दशक के अंतिम वर्षो में बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब उन क्षेत्रों से धीरे-धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहां वे प्रतिस्पर्दधा की स्थिति में नहीं हैं और संसाधनों एवं सरकारी खजाने को निचोड़ रहे हैं। एयर इंडिया इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। नागर विमानन का 1950 के दशक में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। केवल सरकार को ही एयरलाइंस का संचालन करने की इजाजत थी विशेषकर सुरक्षा कारणों से और सामाजिक उद्देश्यों के लिए उन मार्गो पर विमान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो लाभप्रद नहीं थे, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। उड्यन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के साथ ही क्षमता से अधिक कर्मचारियों, अकुशलता और कर्ज के बढ़ते दबाव के कारण एयर इंडिया कुछ हद तक उनका मुकाबला नहीं कर पाई जिसके कारण सरकार को सरकारी खजाने से उसे वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ी।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि राष्ट्र निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षो में सार्वजनिक क्षेत्र का बुनियादी और भारी उद्योगों में प्रवेश हुआ। उस समय निजी क्षेत्र बुनियादी और भारी उद्योगों में प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त वित्तीय शक्ति और साधन नहीं थे। वास्तव में 1948 की औद्योगिक नीति ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया। लेकिन जब पर्याप्त संख्या में निजी क्षेत्र निवेश की जरूरत वाले क्षेत्रों में नहीं आ रहे थे तब सरकार ने 1956 में औद्योगिक नीति में संशोधन किया और देश के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया। इससे संतुलित विकास सुनिश्चित हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र ने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, संरचना विकास, टाउनशिप और दूर-दराज के इलाकों को विकसित करने में मदद दी। बाद में सरकार को बाध्य होकर विशेषकर कपड़ा उद्योग में कुछ बीमार इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा ताकि श्रमिकों की हितों की रक्षा की जा सके। सार्वजनिक प्रतिष्ठान ने अभाव के युग में मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए पाव रोटी बनाने तक का काम किया। भंडारण सुविधाओं में सुधार करने तथा अनाज का सुरक्षित भंडार रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई और इसी कारण भारत आज खाद्यन उत्पादन में सुरक्षित भंडार रखता है लेकिन अब यह संगठन अपनी उपयोगता खो चुका है और इसे अब मैक्सिको की तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए या केवल पूर्वोत्तर भारत तक सीमित कर देना चाहिए जहां खाद्यन की खरीद आज भी समस्या है क्योंकि हरित क्रांति का विस्तार वहां तक नहीं हुआ है।

वास्तव में सरकार के लिए अनेक क्षेत्रों से बाहर निकलने का समय आ गया है विशेषकर सेवा क्षेत्र में। लेकिन रेलवे और दूरसंचार में सरकार को बने रहना चाहिए, क्योंकि अनेक देशों में इन क्षेत्रों में हुए निजीकरण के परिणाम सफल नहीं रहे है। दोनों क्षेत्रों में कुछ रणनीतिक हित भी शामिल है।

होटल उद्योग में सरकार ने उस समय प्रवेश किया जब निजी क्षेत्र नियंत्रण के युग में आगे नहीं आ रहे थे। आज होटल उद्योग से सरकार को बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने बेहतर काम किया है। यही बात एयर इंडिया के लिए लागू होती है क्योंकि निजी विमान सेवा कंपनियों ने यह दिखा दिया है कि विमानन कंपनियां किस तरह चलाई जाती हैं। इस तथ्य को समझते हुए सरकार ने एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री पर ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार के लिए बैंकिंग क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक अपनी हिस्सेदारी बेचने सहित अनेक क्षेत्रों में हिस्सेदारी बेचने का समय आ गया है। सरकार ने सक्षमता बढ़ाने और कंपनी को बार-बार संकट से उबारने में लगे करदात्ताओं के धन को बचाने के लिए एयर इंडिया जैसी रणनीतिक बिक्री का निर्णय लिया है सरकार ने उन क्षेत्रों से बाहर आने का निर्णय लिया है जहां निजी क्षेत्र बेहतर काम कर सकते है। बीमार प्रतिष्ठानों के मामले में यदि कायाकल्प की कोशिश विफल हो जाती है तो सरकार को सीधे तौर पर ऐसी इकाइयों को बेच देना चाहिए। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास उपलब्ध भूमि में और इकाइयां स्थापित करने के लिए योजना तैयार की है ताकि सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा प्राप्त की गई 6 लाख रुपये से अधिक की लाभ राशि का उपयोग किया जा सके। तेल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है विशेषकर उस समय भी जब तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आ रही है।

इस तरह यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की समस्या हल करने के लिए पहले से तय कोई समाधान नहीं है और मोदी सरकार ने सही रूप में इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बहुपक्षीय नीति को अपनाया है। 'के. आर. सुधामन

खाद्य आत्म–निर्भरता, हरित और श्वेत क्रांति पूर्वोत्तर भारत का विशेष उल्लेख

*डॉ प्रार्थना राजकुमारी

यह 'परिवर्तन' का युग है, क्रांतिकारी बदलावों का समय! हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहुरंगी क्रांति के लिए अभियान की शुरूआत की है, जिसके तहत प्रोटीन-समृद्ध दलहन संबंधी दूसरी हरित क्रांति, मवेशी और पशुपालन संबंधी श्वेत क्रांति, सौर ऊर्जा संबंधी एक केसरिया 'ऊर्जा' क्रांति और स्वच्छ जल तथा मछुआरों के कल्याण संबंधी नील क्रांति शामिल है। इनमे से हरित और श्वेत क्रांतियों ने भारत वासियों के जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जहां तक खाद्य सुरक्षा का संबंध है, भारत खाद्य आत्मनिर्भरता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। इस संबंध में कई अल्प कालीन तथा दीर्धकालीन कदम उठाये जाने हैं। चुनाव अभियान के दौरान किसानों की मुश्किलों के प्रति मोदी द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकता के मद्देनजर वंचित समुदाय में आशा की किरण पैदा हुई है।

हरित क्रांति का उद्देश्य अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस कदम से अनाज के आयात में भारी कमी आयी है। हरित क्रांति की बदौलत हम अब अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो गए हैं और हमारे पास अनाज का प्रचुर भण्डार मौजूद है। हम अब अनाज का निर्यात करने में सक्षम हो गए हैं। हरित क्रांति के कारण खेती के तौर-तरीकों में आमूल परिवर्तन आया है। इसके कारण विभिन्न प्रकार की मशीनों, रासायनिक उर्वरकों, कीट नाशकों, खरपतवार को नष्ट करने के तरीकों की मांग काफी बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि आधारित उद्योग पनप रहे हैं तथा देश में भारी मात्रा में रोजगार पैदा हो रहे हैं।

पूर्वोत्तर भारत प्राकृतिक संसाधनों में बहुत समृद्ध है, लेकिन इसके बावजूद आजादी के समय से ही यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि दूसरी हरित क्रांति पूर्व से शुरू होनी चाहिए और इसकी शुरूआत असम से होगी। इसके अनुपालन में कृषि मंत्रालय ने असम को पूर्वी राज्यों की उस सूची में शामिल कर लिया है जिन्हें दूसरी हरित क्रांति के दायरे में लाया जाना है। पूर्वी राज्यों में असम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए शानदार काम करने पर पुरस्कृत किया गया है। यह चावल उत्पादन के लिए 13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित है। मिशन का उद्देश्य चावल उत्पादन को बढावा देना है।

प्रर्याप्त जल, उपजाऊ जमीन और मेहनती किसान पूर्वोत्तर की पहचान है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र की अपार क्षमताएं हैं। प्रधानमंत्री ने असम के गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी थी, जिसके मद्देनजर आशा की जाती है की पूरा क्षेत्र इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसके साथ ही 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि का विकास होगा। इसके अलावा बदलती तकनीक से किसानों को भी फायदा होगा।

पूर्वोत्तर जैविक खेती के क्षेत्र में भी शानदार काम कर सकता है। इस क्षेत्र में कृषि के अनुकूल जलवायु, जमीन की विभिन्न किस्में और प्रर्याप्त वर्षा के कारण यह क्षेत्र बागवानी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उत्पादों को देश और विदेशों में बेचने के भी अवसर हैं। विभिन्न तरह की जलवायु की मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र में फल, सब्जियां, मसाले और जड़ी-बूटियों की खेती के भी अवसर हैं। इनके अलावा नींबू, अनन्नास, हल्दी, अदरक इत्यादि भी इस क्षेत्र में उगाये जाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान 5.1 प्रतिशत (फल) और 4.5 प्रतिशत (सब्जी) है।

इसके अलावा इस क्षेत्र की अनोखी बात यह है कि यहां कृषि के अनुकूल जलवायु मौजूद है, जो देश के अन्य हिस्सों में उपलब्ध नहीं है। यहां जलवायु परिवर्तन, ऊंच्चे-नीच्चे क्षेत्र और विभिन्न फसलों के उत्पादन के अवसर मौजूद हैं, जो देश के अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं। वास्तव में पूर्वोत्तर बाजार अपने आप में बहुत अनोखा है कि यहां गैर-मौसमी उपज भी उपलब्ध हो जाती है। यह जलवायु विविधता के कारण संभव है।

दूध आपूर्ति में इजाफा करने के लिए सहकारी स्तर पर श्वेत क्रांति एक सम्मिलित प्रयास है। इसके जरिये भारतीय डेयरी उद्योग बहुत मजबूत हुआ है और दूध उत्पादन में विश्व में पहले नम्बर पर है। इसके अलावा दूध की उपलब्धता और दुग्ध उत्पाद में भी लगातार विकास हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कृषि क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है।

सहकारिताओं के जरिये डेयरी विकास को प्रोत्साहित और संगठित करने के लिए 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1970 में 'ऑप्रेशन "लड' शुरू हुआ था जो विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उत्पादकों को शहरी उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी तथा विपणन के संबंध में प्रोफेशनलों की सेवाएं ली गई थीं।

लेकिन, अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत काफी कम है। इसका कारण विभिन्न प्रकार के भोजन करने की आदत और दूध की कम उपलब्धता है। असम सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। उसके बाद त्रिपुरा का स्थान है। हाल में त्रिपुरा में दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसका कारण दूध देने वाले मवेशियों की नस्लों में सुधार है। सरकार द्वारा तुरंत वित्तिय सहायता प्रदान करने और प्रशिक्षण के रूप में प्रोत्साहन के जरिये राज्य को इस क्षेत्र में सफलता मिली है।

देश के दुग्ध बाजार में अमूल नेतृत्व करता है। उसने राज्य में परिचालन शुरू कर दिया है और इस तरह पश्चिम असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (वामूल) को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। उल्लेखनीय है की वामूल 'पूरबी' के ब्रांड से अपने उत्पाद बेचता है। यह ब्रांड घरों में बहुत लोकप्रिय है और हाल के वर्षो में उसे कुछ सफलता प्राप्त हुई है। असम के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार डेयरी विकास विभाग दूध उत्पादन को बढाने पर ध्यान दे रहा है और ग्रामीण डेयरी किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रसंस्करण सुविधाये तैयार कर रहा है।

कृषि और खाद्य सुरक्षा में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने अनाज की विशेष मात्रा प्रदान करने के बजाए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए की गांव खुद अपनी अवश्यकताओं की देखभाल करे। जिससे भोजन के अभाव को दूर करने में सहायता मिले। कृषि विकास और क्षेत्रों को बेशी खाद्य उत्पादन में सक्षम बनाने के लिए रणनीतिक योजनाएं और कर्यान्वयन आवश्यक हैं। यह काम समेकित अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा के जरिये संभव होगा, जिसे हर राज्य में भू-प्रणाली में समयबद्ध सुधार समर्थन प्राप्त हो।

पसूका

BJP MLA संग आए BDC मेंबर का मानदेय का चेक न मिलने का दावा निकला झूठा

अर्की/शैल। बीते दिनों अर्की से भाजपा विधायक गोबिंद शर्मा को साथ लेकर ये दावा करने वाले भाजपा बीडीसी सदस्य सुरेश कुमार कि कुनिहार बीडीओ ऑफिस उनके मानदेय का

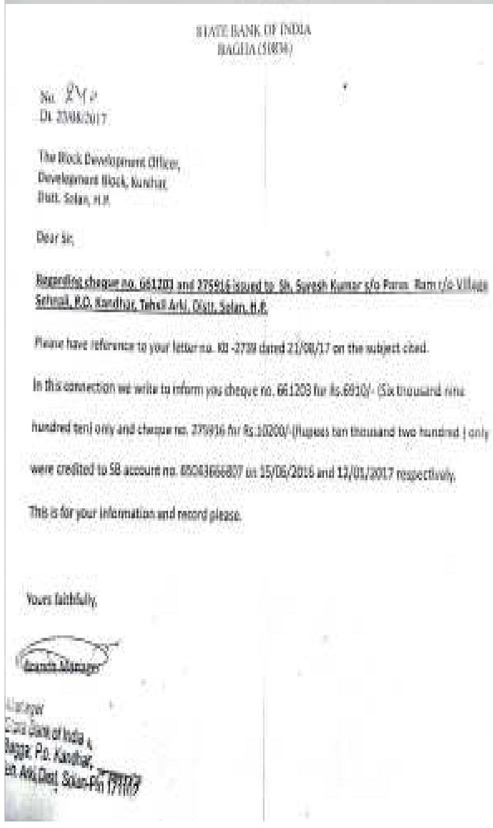

STATE BANK OF INDIA
BAGHA (50836)

No. BM/
Dt. 23/08/2017

The Block Development Officer,
Development Block, Kunihar,
Distt. Solan, H.P.

Dear Sir,

Regarding cheque no. 661203 and 275916 issued to Sh. Suresh Kumar s/o Paras Ram r/o Village Sehnali, P.O. Kandhar, Tehsil Arki, Distt. Solan, H.P.

Please have reference to your letter no. KU-2739 dated 21/08/17 on the subject cited.

In this connection we write to inform you cheque no. 661203 for Rs.6910/- (Six thousand nine hundred ten) only and cheque no. 275916 for Rs.10200/- (Rupees ten thousand two hundred) only were credited to SB account no. 65043666807 on 15/06/2016 and 13/01/2017 respectively.

This is for your information and record please.

Yours faithfully,

Branch Manager

Manager
State Bank of India
Bagga, P.O. Kandhar,
Teh. Arki, Distt. Solan-Pin 171102

चेक कोई और ले गया है, और इसे कैश भी करा लिया गया है, ये दावा उलटा पड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में बीजेपी बीडीसी सदस्य घिरते नजर आ रहे हैं।

बीडियो कुनिहार जयवंती देवी ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है व साथ ही कहा है कि दोनों चेक सुरेश कुमार के बागा स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अब एसबीआई) में खोले गए खाते में कैश हुए हैं। दोनों चेकों का भुगतान उनके खाते में हुआ हैं।

बीडीओ कुनिहार ने इस बावत सुरेश कुमार के खाते में चेक जमा होने बावत एसबीआई बागा की शाखा की ओर से जारी प्रमाणपत्र का हवाला भी दिया हैं। इस प्रमाण पत्र में लिखा है कि 6910 रूपए का चेक नंबर 661203 और 10 हजार 200 रुपए का चेक नंबर 275916 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अब एसबीआई) में सुरेश कुमार के ही खाते में 16 जून 2016 और 12 जनवरी 2017 को जमा हुए हैं।

गौरतलब है कि सुरेश कुमार अर्की तहसील की मांगल व बेरल पंचायत से बीडीसी सदस्य हैं। वो भाजपा विधायक गोबिंद शर्मा के करीबी हैं।

बीडीओ कुनिहार ने कहा कि उनके ऑफिस के सतर पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी व धोखधड़ी नहीं हुई हैं। उन्होने ये भी दावा किया कि इस बावत उन्होंने कुनिहार पुलिस चौकी में बीडीसी सदस्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है व मानहानि का दावा भी किया जाएगा।

इस बावत सुरेश कुमार ने कहा कि वो अभी दिल्ली में हैं व लौटकर ही कुछ कह सकते हैं। उन्होंने दस हजार दो सौ रुपए का चेक तो कभी जमा ही नहीं कराया। उनके अकाउंट में ये कहां से आ गए हैं ये उन्हें इस समय पता नहीं हैं। सुरेश कुमार ने मीडिया से पहले ये भी कहा था कि उन्होंने अपना मानदेय न मिलनेको लेकर बीडियो व बीडीसी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा विभिन्न बैठकों में भी ये मसला उठाया था। लेकिन उनकी सुनी नहीं गई।

इस बावत बीडियो कुनिहार ने कहा कि सुरेश कुमार ने उन्हें ये शिकायत दी थी कि उनका एक चेक कहीं गुम हो गया हैं। सुरेश कुमार ने ये भी कहा था कि चेक की संभाल रखने वाले बाबू ने उन्हें चेक से जुड़ी डिटेल देने से इंकार कर दिया था व वह खुद कुनिहार में पीएनबी बैंक में उनके साथ गया व वहां मैनेजर ने कहा था कि उनका चेक शिमला में कैश हो चुका हैं।

इस बावत बीडीओ ने कहा कि ये सब संभालने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट पर हैं व हर किसी को कोई चेक कैसे दे सकता हैं।

बहरहाल,ये मामला दिलचस्प हो गया हैं। अगर ये मामला नादानी भरा हैं तो बड़ा मसला नहीं हैं। लेकिन अगर साजिश व राजनीति का हिस्सा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की सलाह दें राणाः भाजपा

हमीरपुर/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की सलाह दें राजिंदर राणा। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आदर्श कान्त, कमल नयन, दलबीर ठाकुर एवं जिला मीडिया प्रभारी ने सयुंक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राजिंदर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि आये दिन भाजपा को कोसने में व्यस्त आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अपने दायित्व को निभाने में ठीक उसी तरह असफल हुए हैं जिस तरह प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार, भाजपा नेताओं ने कहा की प्रदेश में गत वर्ष हुई आपदाओं से पीड़ित परिवारों को आपदा प्रबन्धन बोर्ड राहत राशि या फिर अन्य किसी भी प्रकार की मदद नहीं पहुँचा पाया है। राणा ने जिस तरह विधायक बनने के बाद सुजानपुर की जनता को धोखा दिया था और कांग्रेस में जा शामिल हुए थे उसी तरह बोर्ड के उपाध्यक्ष बनने के बाद राणा ने अपना दायित्व न निभा कर मात्र सत्ता सुख भोगा। हाल के दिनों में हुई भारी बारिश के चलते जहां प्रदेश की जनता प्राकृतिक आपदा की मार झेल रही थी तब आपदा प्रबन्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष कुकर बांटने में व्यस्त थे। जब जनता उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाती है तब राणा भाजपा नेताओं कोसने में लग कर अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश में लग जाते हैं।

भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की खस्ता हालत से प्रदेश वासियों की जान माल और इज्जत असुरक्षित हो चुकी है। जमानत लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके वीरभद्र सिंह समेत तमाम कांग्रेसी जो सतत सुख भोगने में मस्त हैं उनको प्रदेश की त्रस्त जनता से कोई सरोकार नहीं है। तभी मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि बड़े बड़े प्रदेशों में हत्या, लूटपाट और बलात्कार के मामले होते रहते हैं।

जनता की परेशानियों से बेखबर होकर मुख्यमंत्री काली भेड़े ढूढ़ने में मग्नःअनुराग

हमीरपुर/शैल। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा हिमाचल की जनता जहां एक तरफ प्रदेश में लगभग 127 ब्लैक स्पॉट के साथ साथ अन्य जगहों पर आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रही है जबकि दुर्घटना बाहुल्य 314 में 90 स्पॉट ऐसे हैं जहां आए दिन एक्सीडेंट तो हो रहे हैं मगर सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाने में नाकामयाब रही है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जनता की इस परेशानी को नजरंदाज कर अपनी पार्टी के भीतर मौजूद ब्लैक शीप(काली भेड़ें) ढूढ़ने में व्यस्त हैं।

हमीरपुर सांसद ने कहा कि प्रदेश में मौजूद लगभग 127 ब्लैक स्पॉट में से 77 तो नेशनल हाइवे पर ही मौजूद हैं। यहां पिछले कुछ समय में एक स्थान विशेष लगभग 900 एक्सीडेंट हो चुके हैं। हिमाचल में ज्यादातर सड़कें ऐसी हैं जहां लोक निर्माण विभाग ने क्रैश बैरियर नहीं लगाया है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर लोकनिर्माण विभाग जिसके मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री हैं और पुलिस महकमे में आपसी तालमेल की भारी कमी जो जनता के हितों की अनदेखी कर गेंद को इस पाले से उस पाले डालने में व्यस्त हैं।

अनुराग ठाकुर ने आगे बोलते हुए कहा वीरभद्र सिंह का पूरा ध्यान इस वक्त अपने चुनावी एजेंडे और उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के केसों को दबाने में लगा हुआ है,और इसी के तहत वो उन्हें बस अपने पार्टी की फिक्र सता रही है। प्रदेश की जनता ने उन्हें हिमाचल का मुख्यमंत्री चुना था ना की कांग्रेस ने।

कसुम्प्टी से कुलदीप सिंह तनवर माकपा के प्रत्याशी घोषित

शिमला/शैल। वामपंथी पार्टी माकपा ने 2003 से 2007 के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में हुए पीएमटी घोटाले का पर्दाफाश करने व आंदोलन छेड़ने वाले पूर्व आईएफएस अफसर कुलदीप सिंह तनवर को आगामी विधानसभा के होने वाले चुनावों में कसुम्प्टी विधानसभा हलके से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है।

भाजपा व कांग्रेस में जहां टिकटों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है वहीं वामपंथी पार्टी माकपा ने सबसे पहले अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है।

माकपा के राज्य सचिव ओंकार शाद ने कालीबाड़ी हॉल में ये ऐलान करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होगा और भाजपा के जुमलों की हकीकत को भी लोग समझ चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला व कहा कि मोदी कसुम्प्टी का विकास करने के लिए नहीं आएंगे उन्हें तो विदेश यात्राओं से ही फुर्सत नहीं है। अगर जनता और किसानों के प्रतिनिधि विधानसभा के अन्दर में जाते हैं तो जन विरोधी नीतियों को विधानसभा में ही रोका जा सकता है।

इस मौके पर पूर्व वामपंथी विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हिमाचल एक मजबूत विकल्प की जरूरत महसूस कर रहा है। लेकिन कांग्रेस का विकल्प भाजपा नहीं हो सकती क्योंकि भाजपा जिस विचारधारा की वाहक है वह समाज को धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर लोगों को तोड़ने वाली है। कांग्रेस का विकल्प माकपा ही हैं। जो राज्य में चल रहे भू-माफिया, वन माफिया और नशा माफिया के खिलाफ संघर्ष करेगी।

इस मौके पर माकपा की ओर से घोषित प्रत्याशी कुलदीप तंवर ने कहा कि कसुम्पटी ऐसा विधानसभा

हलका है जो सचिवालय के सबसे करीब हैं लेकिन बावजूद इसके विकास के मामले में यहां अंधकार ही रहा हैं। यहां कभी भी सत्ता और सरकारें मेहरबान नहीं रहीं। तंवर ने कहा कि 70 साल की आजादी के बाद भी कसुम्पटी क्षेत्र में शिक्षा ही नहीं बल्कि सड़क, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का अभाव है।

इस मौके पर हिमाचल में माकपा के हिमाचल इकाई के संस्थापक सदस्य कामरेड मोहर सिंह के अलावा वामपंथियों ने शिरकत की।

गौरतलब हो कि कुलदीप तंवर ने वीरभद्र सिंह की पूर्व की सरकार में हुए पीएमटी घोटाले का पर्दाफाश किया था। नतीजतन इन परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा परीक्षाएं ली गई थी। ये मामला अभी भी अदालतों में चल रहा हैं। अगर पीएमटी घोटाले को लेकर आंदोलन न खड़ा किया होता तो पैसे के दम पर मेरिट पर पहुंचे छात्र-छात्राएं आज डाक्टर बन कर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे होते।

मौजूदा समय में कसुम्प्टी विधानसभा हलके से कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह विधायक हैं। अभी ये तय नहीं हैं कि कांग्रेस से उन्हें ही टिकट मिलेगा या पार्टी किसी और को टिकट देती हैं। यही स्थिति भाजपा की भी है।

विशेष ऑलोम्पिक में हिमाचल को 21 पदक

शिमला/शैल। ऑस्ट्रिया में 14 से 25 मार्च, 2017 तक आयोजित विशेष ऑलोम्पिक (शीतकालीन) खेलों में हिमाचल के खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण, 6 रजत तथा 7 कांस्य पदकों सहित कुल 21 पदक जीते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में यह जानकारी देते हुए कहा कि दिव्यांगजनों द्वारा 21 पदक जीतना हिमाचल के लिए गौरव की बात है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रत्येक विजेता को 75 हजार रुपये तथा प्रशस्ति पत्र, रजत पदक विजेता को 50 हजार रुपये, कांस्य पदक विजेता को 25 हजार रुपये व अन्य प्रतिभागियों को प्रत्येक को 10 हजार रुपये तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

क्षेत्रीय निदेशक विशेष ऑलोम्पिक हि.प्र. परीक्षित ने ऑस्ट्रिया में आयोजित विशेष ऑलोम्पिक का ब्यौरा देते हुए बताया कि हिमाचल से कुल 18 महिला व पुरूष प्रतिभागियों ने 7 विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और भारत वर्ष के लिए कुल 73 पदकों में से 21 पदक अकेले हिमाचल ने अर्जित किए हैं, जिनमें एलपाईन में 3 स्वर्ण, 3 रजत व 4 कांस्य पदक, स्नो बोर्डिंग में 4 स्वर्ण, 2 रजत व 2 कांस्य, स्नो शूविंग में 1 रजत व 1 कांस्य, जबकि फलोर हॉकी में 1 स्वर्ण पदक शामिल हैं।

हिमाचल के विभिन्न जिलों से प्रतिभागियों में संजय कुमार, पूजा, मेघा, उषा, संजय कुमार, शिवाजंली, राजेश, ठाकुर दास, महेश, ज्योति बाला, कुनाल, शुभम, शिक्षा रानी, इन्दु, नजमा, दीपक, जसविन्द्र तथा कंचन शामिल हैं।

विशेष ऑलोम्पिक हि.प्र. की उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। समाज कल्याण विभाग के निदेशक श्री संजीव भटनागर ने कार्यवाही का संचालन किया।

सरकार पूर्व-प्राथमिक स्कूल कक्षाएं आरम्भ करने पर कर रही है विचारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार छोटे बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक स्कूल कक्षाएं आरम्भ करने पर सक्रियता से विचार कर रही है, ताकि ये बच्चे प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई आसानी से कर सकें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद की शिक्षा का अधिकार, 2009 की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरम्भ में पूर्व-प्राथमिक स्कूल कक्षाएं 25 प्रतिशत स्कूलों में आरम्भ की जा सकती है। शुरूआत में यह कक्षाएं सभी जिलों के मुख्यालयों के निकटवर्ती स्कूलों में आरम्भ की जा सकती है।

श्री वीरभद्र सिंह ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 'प्रेरणा' आरम्भ करने के प्रयासों की सराहना की। प्रेरणा का उद्देश्य कक्षा प्रथम से पांच तक के प्राथमिक स्कलों के विद्यार्थियों की पढ़ने-लिखने व गणित क्षमता के अध्ययन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने 'प्रयास' पहल की भी सराहना की, जिसका उद्देश्य छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की विज्ञान व गणित की पढ़ाई में सुधार लाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी, हिन्दी व गणित की पढ़ाई को अनिवार्य बनाया है और अध्यापकों को अपने व्यावसाय के प्रति सम्पर्ण की भावना से कार्य करना चाहिए।

वीरभद्र सिंह ने निरीक्षण निदेशालय को सख्ती से नियंत्रण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को उपस्थिति के सन्दर्भ में पाबन्द होना चाहिए तथा कक्षाएं खत्म होने से पहले स्कूल से नहीं जाना चाहिए।

उन्होंने बच्चों में आस-पास के वातावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने 'स्कोच ऑडर ऑफ मैरिट आर्वाड' के अन्तर्गत दो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग को बधाई दी। विभाग ने प्रथम पुरस्कार पाठय पुस्तकों की समय पर आपूर्ति तथा द्वितीय पुरस्कार स्कूल मूल्यांकन के डिजिटलीकरण के लिए प्राप्त किया है। वीरभद्र सिंह ने निर्देश दिए कि यदि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं एक ही परिसर में हो तो वहां एक ही समय पर एक ही जगह प्रात:कालीन प्रार्थना सभा करवाई जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.जे. वी. प्रसाद ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्यों का स्वागत किया।

सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक घनश्याम चन्द ने अभियान के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों बारे प्रस्तुति दी।

हि.प्र. शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बलवीर तेगटा, उच्च शिक्षा निदेशक बी.एल. बिंटा, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

लाभार्थीः

- गर्भवती महिलाएं (गर्भावस्था धारण करने से लेकर 42 दिन प्रसव उपरान्त)
- एक वर्ष तक के शिशु

सुविधाएंः

- निःशुल्क दवाइयां तथा उपचार में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री (उपभोज्य वस्तुएं जैसे कि रूई, सीरिंज इत्यादि)
- निःशुल्क परीक्षण/जांच - सभी परीक्षण जैसे कि खून, पेशाब, अल्ट्रासॉनोग्राफी इत्यादि।
- निःशुल्क आहार - अस्पताल में दाखिल होने के दौरान मुफ्त आहार। 6 महीने तक के बच्चों के दाखिल होने पर उनकी माताओं को भी मुफ्त आहार का प्रावधान।
- निःशुल्क यातायात - लाभार्थी को घर से स्वास्थ्य संस्थान, एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान (108 के माध्यम से) तथा स्वास्थ्य संस्थान से घर पहुंचाने की सुविधा (102 के माध्यम से)।
- निःशुल्क खून- निःशुल्क खून का प्रावधान।
- निःशुल्क शल्य प्रक्रिया/आप्रेशन।
- सभी प्रकार के उपभोक्ता शुल्क से छूट ।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की सुविधाओं का प्रावधान स्पैशल वार्ड में दाखिल लाभार्थियों के लिए नहीं है।

जारीकर्ता : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से किए परियोजनाओं के लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सचिवालय से मण्डी जिला के विधानसभा क्षेत्र जोगिन्द्रनगर के लिए वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से अनेक विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किए तथा कुछ योजनाओं की ऑनलाईन आधारशिलाएं रखीं। मुख्यमंत्री ने जोगिन्द्रनगर स्थित भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान में द्रव्यगुण तथा औषधीय पौधों के लिये 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का लोकार्पण किया, जिसपर 5 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शनान में आयुर्वेदिक फार्मेसी के छात्रावास (छात्रा) का भी लोकार्पण किया जिसपर 1.87 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' नर्सरी विकास तथा औषधीय प्रजातियों की खेती के प्रचलन व उनके रूपात्मक अध्ययन की सुविधा के अतिरिक्त एमडी/एमएससी तथा पीएचडी से संबंधित अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। केन्द्र बीएएमएस तथा बी. फार्मा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा तथा क्रियाशील दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करेगा। परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय वनस्पति संग्रह तथा ट्रांस-हिमालयन पौधों के संग्रहालय को भी पोषित करेगा। मुख्यमंत्री ने जोगिन्द्रनगर में 16.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रशासनिक खण्ड (मिनी सचिवालय) भवन का भी लोकार्पण किया।

वीरभद्र सिंह ने टिकरू-रोपड़ी सड़क पर टिकरू में राणा खद्ढ पर 98 लाख रुपये की लागत से निर्मित पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने भराडु में 3.30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित 33 के.वी. विद्युत उप-केन्द्र का भी लोकार्पण किया। यह उप-केन्द्र क्षेत्र की 13 पंचायतों की 56 गांवों की 18000 की आबादी को लाभान्वित करेगा।

उन्होंने भराडु में जलापूर्ति योजना राणा रोपा के लिए स्त्रोत के संवर्द्धन का भी लोकार्पण किया, जिसपर 1.35 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। यह योजना 3 पंचायतों की 17 बस्तियों के 5000 लोगों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्रा) जोगिन्द्रनगर में 94.63 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले विज्ञान प्रयोगशाला भवन तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बस्सी में 3.72 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले भवन की आधाशिलाएं भी रखीं। उन्होंने झलवाहण में माऊंट मौर्य स्कूल भवन के लोकार्पण के अलावा इस पाठशाला के भवन के द्वितीय चरण की भी आधारशिला रखी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

नियमो के खेल में चढ़ी जन मुद्दो की बलि

सत्र के एक भी दिन नही हो पाया प्रश्नकाल

शिमला/शैल। वर्तमान विधानसभा के चार दिन के अन्तिम सत्र में एक भी दिन प्रश्नकाल नही हो पाया। क्योंकि भाजपा ने सत्र के पहले ही दिन प्रश्नकाल स्थगित करके नियम 67 के तहत प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था पर चर्चा करने का प्रस्ताव दिया था। अध्यक्ष बृज बिहारी बुटेल ने भाजपा के इस आगृह को अस्वीकार करते हुए सुझाव दिया मुद्दे पर नियम 67 की बजाये नियम 130 के तहत चर्चा करवाई जा सकती है। सरकार भी इस पर नियम 130 के तहत चर्चा के लिये तैयार थी। लेकिन भाजपा इस पर नियम 67 के तहत ही चर्चा के लिये अडी रही और परिणामस्वरूप पूरा सत्र शोर-शराबे और नारेबाजी के बीच ही निकल गया। प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर चर्चा का मुद्दा कोटखाई के गुड़िया प्रकरण पर उभरे जनाक्रोश की पृष्ठभूमि में भाजपा के हाथ लगा था और इसी प्रकरण सदन में भी यह नारा आया कि ''गुड़िया हम शर्मिन्दा है तेरे कातिल जिनदा है''।

स्मरणीय है कि यह गुड़िया प्रकरण अब जांच के लिये सीबीआई के पास पिछले डेढ़ महीने से चल रहा है। इस मामले में प्रदेश में एक जनहित याचिका भी आ चुकी है और उच्च न्यायालय ने तो इस मामले पर स्वत: ही 10 जुलाई को संज्ञान ले लिया था। बल्कि सीबीआई को मामला सौंपने में भी न्यायालय के निर्देश महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय इस मामले पर अपनी नज़र भी बनाए हुए है तथा सीबाआई से स्ट्टेस रिपोर्ट भी तलब की जा रही है। गुड़िया न्याय मंच के नाम से अभी भी इस मामले में धरना चल रहा है। इस मामले पर उभरे जनाक्रोश में उग्र भीड़ ने कोटखाई पूलिस थाने को आग तक लगा दी थी। इसमें थाने का रिकार्ड तक जला दिया गया। हर तरह का नुकसान यहां पर हुआ। यहीं पर एक कथित आरोपी सूरज की पुलिस कस्टडी में हत्या तक हो गयी। पुलिस ने इसका आरोप दूसरे आरोपी पर लगाया है। नाबालिग गुड़िया से हुए गैंगरेप और फिर हत्या तथा पुलिस कस्टडी में हुई आरोपी सूरज की मौत के दोनो मामलों की जांच अब सीबीआई के पास है लेकिन किसी भी मामले में अब तक कोई परिणाम सामने नही आया है। यही नही कोटखाई और ठियोग पुलिस थानों में जो आगजनी और तोड़-फोड़ हुई है उस पर पुलिस ने बाकायदा मामले दर्ज किये हुए हैं। इन घटनाओं के मौके के विडियोज उस समय सामने आ गये थे पुलिस के पास भी इसकी जानकारी है लेकिन इस मामले में भी अब तक कोई कारवाई सामने नही आयी है।

इस परिदृश्य में जब प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर चर्चा का मुद्दा सदन में सामने आया तो उम्मीद हुई थी कि अब प्रदेश की जनता के सामने आयेगा कि किस मामले की जांच मे पुलिस ने कहां क्या किया है। क्या सच में ही असली आरोपीयों को बचाने का प्रयास किया है पुलिस ने। इसी के साथ यह भी सामने आता कि जनाक्रोश के नाम पर जन संपति को हानि पहुंचाने वाले लोग कौन थे? किन लोगों ने कोटखाई पुलिस थाने के मालखाने में जाकर लूटपाट की? किसने वहां रिकार्ड को आग के हवाले किया? लेकिन पक्ष और विपक्ष के नियमों के खेल में जनता के यह सारे मुद्दे बलि चढ़ा दिये गये। जबकि चर्चा चाहे नियम 67 में होती या नियम 130 में मुद्दे की विषयवस्तु पर कोई फर्क नही पड़ना था। इस चर्चा में प्रदेश के सामने यह आ जाता कि 2014 से लेकर 31.3.17 तक हत्या, बलात्कार और आत्महत्या के कुल 1621 मामले घट चुके हैं जिनमें 1618 की जांच प्रदेश पुलिस और 3 की जांच सीबीआई के पास है। वर्षवार यह आंकड़े इस प्रकार है।

लेकिन इन मामलों पर अब तक गुड़िया मामले जैसा जनाक्रोश देखने को नही मिला है। इनमें पुलिस जांच कहां कितनी पक्षपात-पूर्ण और कितनी निष्पक्ष रही होगी इस पर कोई कुछ कहने की स्थिति में नही है। क्योंकि इनके लिये कभी कोई न्याय मंच नही बन पाया था। शायद यह मंच इसलिये नही बन पाया होगा क्योंकि उस समय कोई विधानसभा चुनाव नही थे। अन्यथा बलात्कार के इन मामलों में भी कई नाबालिग और स्कूल छात्राएं रही होंगी।

ये है 4 सालों का अपराध रिकार्ड

वर्ष	2014	2015	2016	2017
हत्या	142	106	101	61
बलात्कार	284	244	253	145
आत्महत्या	88	74	75	48

जांच की स्थिति

	कुल मामले	जांच पूर्ण	लंबित
हत्या	410	359	51
बलात्कार	926	831	95
आत्महत्या	285	236	49

क्या आखिरी सत्र मैच फिक्सिंग था

शिमला/शैल। विधानसभा के आखिरी सत्र में चारो दिन प्रश्नकाल नियमों के खेल की भेंट चढ़ा दिया गया। प्रश्नकाल से सदन कार्यवाही शुरू होती है और इसी प्रश्नकाल में सरकार विभिन्न विषयों पर आये विधायकों के प्रश्नो का उत्तर देती है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर संबधित मन्त्री का सदन में प्रश्नकर्ता को सीधे देना पड़ता है और अतारिंकत का लिखित में सदन में आता है। प्रश्न पूछने में यह भी प्रावधान है कि प्रश्नकर्ता विधायक के अतिरिक्त अन्य विधायक भी मन्त्री का जबाव सुनने के बाद उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते है। कई बार कई प्रश्नों पर काफी लम्बी चर्चा तक हो जाती है। इस तरह प्रश्न पूछने का प्रावधान केवल प्रश्नकाल में ही है और संभवत: इसी कारण से प्रश्नकाल को स्थगित नही करने का प्रयास किया जाता है। इसमें तो यहां तक बंदिश है कि similarly a matter which can be rised under any other procedural device, viz, calling attention notices, questions, short notice questions, half-an-hour discussions, short duration discussions, etc. 81 cannot be raised through an adjournment motion 82. इसीलिये नियम 296(3) में यह प्रावधान किया गया है। The Speaker may in his discretion, convert any notice from one rule to another rule.

भाजपा ने कानून एवम व्यवस्था पर चर्चा की मांग नियम 67 के तहत की थी। नियम 67 में प्रश्नकाल को स्थगित करके चर्चा करवाने का प्रावधान है। स्थगन प्रस्तावों पर नियम 67 से लेकर नियम 74 तक पूरी प्रक्रिया तय है। इसमें नियम 69(8) में यह कहा गया है कि The Motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of India and जबकि नियम 130 के तहत स्पष्ट है कि इसमें Motion to consider policy, situation, Statement, report or any other matter पर चर्चा की जा सकती है।

सरकार इस नियम के तहत चर्चा को तैयार थी लेकिन भाजपा को यह स्वीकार नही हुआ। परन्तु नियमों के इस खेल में केवल प्रश्नकाल की ही आहुति दी गयी। जबकि सत्र के अन्तिम भी प्रश्नकाल को इसी प्रतिष्ठा की भेंट चढ़ा कर बाद में अन्तिम सौहार्द के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलने का बिल पास कर दिया गया। इसके लिये दोनों पक्षों में सौहार्द बन गया। जबकि इस सत्र में भाजपा का प्रश्न था कि उसके इस कार्यकाल में सौंपे आरोप पत्रों पर क्या कारवाई हुई है। यह भी प्रश्न था कि 1.1.2013 से 31.10.2016 तक कितने कर्मचारी अनुबन्ध पर नियुक्त किये और इनमें से कितने नियमित हो पाये हैं। लेकिन यह जानकारियां सिर्फ सवाल बन कर ही रह गयी। इन पर सरकार की कारगुजारी क्या रही है। यह सामने नही आ पाया। वैसे सूत्रों के मुताबिक आरोप पत्रों पर अब तक कोई कारवाई नही हुई है और सरकार ने इस कार्यकाल में केवल 25159 कर्मचारियों की भर्ती अनुबन्ध के आधार पर की है और इनमें से 6901 को ही नियमित किया जा सका है। नियमों की इस स्थिति से जनता स्वयं आंकलन कर सकती है कि पक्ष और विपक्ष में से कौन कितना सही था। जबकि राजनीतिक विश्लेष्को की नजर में अन्तिम सत्र को मैच फिक्सिंग से अधिक कुछ नही था।

वीरभद्र की धमकी के बाद

......पृष्ठ 1 का शेष

है। क्योंकि किसी के पास भी भाजपा के खिलाफ ठोस आक्रामकता अपनाने वाला कोई नेता नही है। वीरभद्र खेमें को सबसे बड़ा रणनीतिकार माने जाने वाले हर्ष महाजन तो जब वह आवास मन्त्री के रूप में विवादित हुए थे तब से लेकर आज तक चुनाव लड़ने का साहस ही नही कर पाये हैं। आशा कुमारी के सिर पर भी केस की तलवार लटकी हुई है। वीरभद्र के मन्त्री मुकेश, सुधीर, भरमौरी और प्रकाश चौधरी तो स्वयं भाजपा के निशाने पर चल रहे हैं फिर अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर भाजपा पर अटैक का समय कैसे निकाल पायेंग। फिर चुनाव तो सरकार के काम काज पर लड़ा जाता है और वीरभद्र सरकार इस पूरे कार्यकाल में भाजपा नेताओं को किसी भी मामले में घेर ही नही पायी है। इसमें वीरभद्र के गिर्द बैठे अधिकारियों और विजिलैन्स टीम की जो भूमिका रही है उससे सरकार की केवल फजीहत ही हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सुक्खु के लिये इस बार भी उनका गृहक्षेत्र नादौन सुरक्षित नही है। वह शायद शिमला से लड़ने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आज प्रदेश में कांग्रेस का सबकुछ आकर एक प्रकार से वीरभद्र के गिर्द ही केन्द्रित होकर रह गया है। लेकिन वीरभद्र इसी के साथ अपने मामलों में भी उलझे हुए हैं और इसी के लिये उन्हे न केवल चुनाव लड़ना ही बल्कि जीतना भी राजनीतिक विवशता बन गयी है।

डिक्री और ओटीएस के बावजूद

......पृष्ठ 1 का शेष

ही दो करोड़ की कोर्ट फीस खर्च कर दी है जो काम 1.25 रूपये खर्च करके हो सकता था उसके लिये हजारों/लाखों खर्च क्यों किये गये इसका कोई जबाव नही है। निगम की लेनदारीयों को तो Sovereign-dues का दर्जा हासिल है और इसी के कारण से भू-राजस्व के तहत वसूली का प्रावधान 1973 में पब्लिक मनी (रिकवरी ऑफ डयूज़ मे किया गया और बाद में 1982 में वित्त निगम एक्ट में ही धारा 32 जी जोड़ कर यह प्रावधान कर दिया गया। लेकिन इन प्रावधानों की ईमानदारी से अनुपालना नही की गयी बल्कि इन्हे अवरूद्ध करने के लिये निगम प्रशासन ने स्वत: इसमें दस लाख की सीमा तय कर ली।

आज वित्त निगम लगभग डूब चुका है। करीब 1700 करोड़ रूपया फंसा हुआ है। जिसकी पूरी वापसी की संभावनाए बहुत कम है। यदि निगम की इस स्थिति का निष्पक्षता से आंकलन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक्ट में प्रदत्त प्रावधानों को निगम प्रशासन से लेकर बीडीओ तक या तो जानबूझ कर नजरअन्दाज किया गया या फिर किसी ने भी इन्हें गंभीरता से समझने का प्रयास ही नही किया। यहां तक कि निगम में आन्तरिक आडिट से लेकर एजी तक आडिट का प्रावधान है बल्कि आईडीबीआई और अब सिडवी इसके रेगुलेटर है। लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नही दिया। अदालतों में मामले गये लेकिन वहां भी एक्ट में ही दिये इन प्रावधानों की ओर ध्यान नहीं आ पाया और इस सबका परिणाम है कि सरकार का इतना बड़ा अदारा फेल हो गया।